न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–171 सन् 2026

CNR No. UPSN01–000587–2026

1. श्रीकृष्ण पाठक बालिग पुत्र रामदत्त पाठक
2. राहुल कुमार बालिग पुत्र श्रीकृष्ण पाठक

निवासीगण ग्राम भावापुर महराजगंज, थाना औराई, जनपद भदोही।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य..... .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–36 सन् 2022
धारा–323, 504, 506, 427, 452 भा0 दं0 सं0
थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीकृष्ण पाठक एवं राहुल कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–36 सन् 2022, धारा–323, 504, 506, 427 एवं 452 भा0 दं0 सं0, थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोगी अशोक कुमार पाण्डेय ने दिनांक–19.03.2022 को समय 16.06 बजे थाना ज्ञानपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया कि वह कुँवरगंज छोटाडीह, ज्ञानपुर, थाना ज्ञानपुर का निवासी है। दिनांक 09.03.2022 को समय 2.00 बजे दिन व अपने घर पर मौजूद था कि उसके लड़के अवनीश और उसकी पत्नी प्रतिभा का आपसी विवाद था, उसी रंजिश को लेकर श्रीकृष्ण पाठक पुत्र अज्ञात व उसके लड़के रोहित पाठक व राहुल पाठक पुत्रगण श्री कृष्ण पाठक व अज्ञात 15 लोग निवासीगण ग्राम भावापुर पो० महराजगंज, थाना औराई, जनपद भदोही उसके घर में घुसकर लाठी डण्डे से लैश होकर उसे, उसकी पत्नी सावित्री व आशीष तथा उसकी पत्नी अनुराधा को गाली देकर मारे–पीटे जिससे उन लोगों को काफी चोटें आयीं है। मोहल्ले वालों के इकट्ठा होने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये और गमला तोड़कर नुकसान किये। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 452, 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन थाना ज्ञानपुर में दिनांक 19.03.2022 को समय 16.06 बजे मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोंपरांत, धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता का लोप करते हुए अभियुक्तगण व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने आधार अग्रिम जमानत एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीकृष्ण पाठक की पुत्री प्रतिभा की शादी हिन्दू धर्म व रीति रिवाज के अनुसार दिनांक–02.12.2003 को वादी मुकदमा के लड़के अवनीश कुमार पाण्डेय के साथ हुई थी। शादी के बाद प्रतिभा वादी मुकदमा के घर गयी और अपने पति के साथ रहकर पत्नी धर्म का निर्वहन करने लगी। प्रतिभा और अवनीश कुमार पाण्डेय के वैवाहिक संबंध से प्रतिभा को एक लड़की रौनक जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष व एक लड़का रूद्र जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है पैदा हुए हैं, जो प्रतिभा के साथ रहे हैं। वादी मुकदमा व उसका लड़का अवनीश कुमार पाण्डेय तथा वादी मुकदमा के परिवार के लोग दहेज में

पांच लाख रूपये की माँग को लेकर प्रतिभा को मारते–पीटते थे और अन्ततः दिनांक 18.03.2022 को प्रतिभा को मारपीट कर बच्चों के साथ घर से निकाल दिये। प्रतिभा प्रार्थी/अभियुक्तगण के घर आयी और प्रार्थी/अभियुक्त श्रीकृष्ण पाठक के साथ अपने ससुराल गयी तब वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोग गाली देते हुए प्रतिभा को मारे पीटे व जान से मार डालने की धमकी दिये। प्रतिभा की लज्जा भंग करने की नीयत से प्रतिभा की साड़ी खींचे जिसके संबंध में प्रतिभा द्वारा पुलिस थाना ज्ञानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 37/2022 धारा 354, 147, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया, जिसमें बाद विवेचना आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ है और मुकदमा विचाराधीन है। प्रतिभा द्वारा वादी मुकदमा के लड़के अवनीश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण–पोषण वाद दाखिल किया गया था, जिसमें दिनांक 29.09.2023 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है और उसके वसूली का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। प्रतिभा द्वारा घरेलू हिंसा का वाद वादी मुकदमा व उसके परिवार के विरूद्ध दाखिल किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 523/2022 है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, वादी मुकदमा को घर में घुसकर लाठी डण्डा से लैस होकर वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगों को न तो मारा पीटा, न गाली गलौज दिया, न जान से मारने की धमकी दिया और न ही किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ कर नुकसान कारित किया। वादी मुकदमा काशी संयुक्त ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबन्धक के पद से रिटायर हुआ है तथा रूपये पैसे वाला प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने प्रभाव के बल पर झूठी व फर्जी इन्जरी रिपोर्ट तैयार कराकर झूठा मुकदमा पुलिस थाना ज्ञानपुर में पंजीकृत कराया है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय अपराध है और मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अत: अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दिनांक 19.03.2022 को समय दो बजे दिन बहद स्थान छोटा डीह पहुंचकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर अभियोगी व उसके परिजनों को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डे से मारपीट कर चोटें पहुंचायी, जान से मारने की धमकी दिया तथा गमला तोड़कर नुकसान कारित किया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

6. अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 19.03.2022 को समय दो बजे दिन बहद स्थान छोटा डीह पहुंचकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर अभियोगी व उसके परिजनों को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डे से मारपीट कर चोटें पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देने तथा गमला तोड़कर नुकसान कारित करने का आरोप है।

7. पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा के लड़के अवनीश की शादी प्रार्थी/अभियुक्त श्रीकृष्ण पाठक की पुत्री व प्रार्थी/अभियुक्त राहुल की बहन प्रतिभा के साथ होने का तथ्य पक्षों को स्वीकृत है। यह भी तथ्य स्वीकृत है कि प्रतिभा एवं अवनीश के मध्य वैवाहिक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीकृष्ण पाठक की पुत्री प्रतिभा द्वारा उसके साथ वादी पक्ष के विरूद्ध मारपीट की घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना दर्शित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 13 ख/2 लगायत 13 ख/4 के रूप में उपलब्ध है। पत्रावली पर इस स्तर पर कथित

मारपीट की घटना के संबंध में वादी पक्ष को आयी चोटों के बारे में कोई आघात आख्या भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल हो चुका है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में असहयोग किया गया हो तथा विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस की गयी हो। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–श्रीकृष्ण पाठक एवं राहुल कुमार प्रत्येक को मु0 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर मामले के विचारण तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1. अभियुक्तगण मुकदमें के विचारण में सहयोग करेंगे ।
2. अभियुक्तगण आरोप विरचन के समय एवं धारा 351 बी.एन.एस.एस. का बयान लेखबद्ध किए जाने के समय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. साक्ष्य के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।
4. अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
5. अभियुक्तगण अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे।

दिनांक –09.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.09 17:42:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court